बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–02/टैक्स निर्धारण–13/2013 परि0

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में हुए संशोधन का संसूचन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन करते हुए भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

अतः सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/टैक्स निर्धारण–13/2013 परि0 197 पटना, दिनांक– 17/1/17

प्रतिलिपि –1. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, PATNA को इस अनुरोध सहित सूचनार्थ प्रेषित कि इसे परिवहन विभाग के प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेंगें।

2. श्री गौरव कांत, आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित की इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–02/टैक्स निर्धारण–13/2013 परि0 197

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

E-mail

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– 17/1/17

विषयः– सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में हुए संशोधन का संसूचन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन करते हुए भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

अतः सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक–29.12.2016 की अधिसूचना की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु सलग्न की जा रही है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938
No. 894] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1183(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसचूना सं. सा.का.नि. 744(अ) तारीख 28 जुलाई, 2016 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थीं, प्रारूप नियमों से युक्त उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 28 जुलाई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (22वाँ संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,—

(i) नियम 9 में, उपनियम (2) में "नियम 32 की सारणी की क्रम संख्या 8 में यथानिर्दिष्ट" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "नियम 32 की सारणी में यथानिर्दिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) नियम 14 के उपनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) यथास्थिति, परीक्षण या पश्चातवर्ती परीक्षण नियम 32 में प्रत्येक वर्ग को चलाने के लिए और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस;";

(iii) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"32. फीस:- वह फीस जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाएगी, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु राज्य परीक्षण संचालन के लिए उपयोग किए गए स्वचलन और प्रौद्योगिकी की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए या मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रकम का उद्ग्रहण कर सकेंगे ।

सारणी

क्रम संख्या	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए प्ररूप 3 में नौसिखिया चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में	एक सौ पचास रुपये	10	8
2.	यथास्थिति, नौसिखिया शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण फीस या परीक्षण की पुनरावृत्ति फीस	पचास रुपये		27 (थ)
3.	चलाने की क्षमता के लिए, यथास्थिति, परीक्षण या परीक्षण की पुनरावृत्ति के लिए (प्रत्येक वर्ग के यान को)	तीन सौ रुपये	14(1) (ख)	9
4.	चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	दो सौ रुपये	14(1) (ख)	9
5.	अंतरराष्ट्रीय चालन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए	एक हजार रुपये	14(2) (ख)	9
6.	चालन अनुज्ञप्ति में यानों के अन्य वर्ग को जोड़ने के लिए	पाँच सौ रुपये	17(2) (घ)	11
7.	परिसंकटमय मालों के संवहन के यान के पृष्ठांकन या प्राधिकरण के नवीकरण के लिए	एक सौ रुपये	9	27 (थ)
8.	चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	दो सौ रुपये	18(1)(क)	15
9.	ऐसी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जिसके लिए आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात् किया गया है	तीन सौ रुपये । **टिप्पण:** प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए जिसकी गणना अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त फीस		15
10.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	दस हजार रुपये	24 (2)	12
11.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	पांच हजार रुपये	26 (2)	12

12.	नियम 29 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के लिए	पाँच सौ रुपये	30(1)	17
13.	चालन अनुज्ञप्ति में अभिलिखित किन्हीं अन्य विशिष्टियों अर्थात् पता, आदि में परिवर्तन के किसी आवेदन के लिए	दो सौ रुपये		27(थ)

टिप्पण–1: जब भी प्रारूप 7 स्मार्ट कार्ड किस्म में चालन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है तो दो सौ रुपये की अतिरिक्त फीस उद्गृहीत की जाएगी।

2. ऊपर सारणी में क्रम संख्या 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट फीस, यथास्थिति, नौसिखिया शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए या किसी अन्य वर्ग के यान के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय सामूहिक रुप से संदत्त की जाएगी।";

(iv) नियम 81 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"81. फीस:- वह फीस जो इस अध्याय के उपबंध के अधीन प्रभारित की जाएगी, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु राज्य परीक्षण संचालन के लिए उपयोग किए गए स्वचलन और प्रौद्योगिकी की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए या मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रकम का उद्ग्रहण कर सकेंगे।

सारणी

क्रम संख्या	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	यान के प्रत्येक वर्ग के लिए व्यापार प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या नवीकरण करना:		34(1)	
	मोटर साइकिल	पाँच सौ रुपये		
	अशक्त यात्री गाडी	पाँच सौ रुपये		
	अन्य	एक हजार रुपये		
2.	व्यापार प्रमाणपत्रों की अनुलिपि		38(1)	
	मोटर साइकिल	तीन सौ रुपये		
	अशक्त यात्री गाडी	तीन सौ रुपये		
	अन्य	पाँच सौ रुपये		
3.	नियम 46 के अधीन अपील	एक हजार रुपये	46(1)	
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या नवीकरण और नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान करना		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) और	

			78(1)	
	(क) अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रुपये		
	(ख) मोटरसाइकिल	तीन सौ रुपये		
	(ग) तिपहिया/चौपहिया साइकिल/हल्के मोटरयान –			
	i) गैर परिवहन	छह सौ रुपये		
	ii) परिवहन	एक हजार रुपये		
	(घ) मध्यम माल यान (ङ) मध्यम यात्री मोटरयान (च) भारी माल यान (छ) भारी यात्री माल यान (ज) आयातित मोटरयान (झ) आयातित मोटरसाइकिल (ञ) कोई अन्य मोटरयान जिसका ऊपर वर्णन नहीं किया गया है । टिप्पण 1: दो हजार रुपये की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण किया जाएगा यदि जारी किया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रारूप 23क स्मार्ट कार्ड किस्म में है टिप्पण 2: रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के आवेदन में विलंब की दशा में मोटरसाइकिलों के संबंध में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपये की अतिरिक्त फीस और अन्य गैर परिवहन यानों के अन्य वर्गों के संबंध में प्रत्येक	एक हजार रुपये एक हजार रुपये एक हजार पाँच सौ रुपये एक हजार पाँच सौ रुपये पाँच हजार रुपये दो हजार पाँच सौ रुपये तीन हजार रुपये		

	मास या उसके भाग के विलंब के लिए पाँच सौ रुपये की फीस उद्गृहीत की जाएगी।			
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुकृति जारी करना	क्रमसंख्या 4 के सामने वर्णित फीस का आधा	53(2)	
6.	स्वामित्व का अंतरण	क्रमसंख्या 4 के सामने वर्णित फीस का आधा। निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए मोटरसाइकिल की दशा में तीन सौ रुपये और अन्य यानों के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए पाँच सौ रुपये की अतिरिक्त फीस उद्गृहीत की जाएगी।	55(2)(iii), 55(3), 56(2)(क) और 57(1)(क)	
7.	निवास में परिवर्तन	क्रमसंख्या 4 के सामने वर्णित फीस का आधा निवास में परिवर्तन के लिए निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए मोटरसाइकिल की दशा में तीन सौ रुपये और अन्य यानों के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए पाँच सौ रुपये की अतिरिक्त फीस उद्गृहीत की जाएगी।	59	
8.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तनों का अभिलेखन	क्रमसंख्या 4 के सामने वर्णित फीस का आधा		
9.	अवक्रय/पट्टा/आड़मान करार का पृष्ठांकन – (क) मोटरसाइकिल (ख) तिपहिया/चौपहिया/हल्के मोटर-यान (ग) मध्यम या भारी यान **टिप्पण**–पट्टा, आदि को रद्द करने के लिए या उसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई पृथक फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी	पाँच सौ रुपये एक हजार पाँच सौ रुपये तीन हजार रुपये	60	
10.	फिटनैस प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन (क) मोटरसाइकिल (ख) तिपहिया या हल्के मोटरयान या चौपहिया साइकिल	हस्तचालित : दो सौ रुपये स्वचालित : चार सौ रुपये हस्तचालित: चार सौ रुपये स्वचालित : छह सौ रुपये	62(2)	

	(ग) मध्यम या भारी मोटर यान	हस्तचालित: छह सौ रुपये स्वचालित : एक हजार रुपये		
11.	मोटरयानों की फिटनैस के लिए प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या उसका नवीकरण करना	दो सौ रुपये । **टिप्पण:** फिटनैस प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस	62(2)	
12.	प्राधिकार पत्र अनुदत्त करना या नवीकरण करना	पंद्रह हजार रुपये	63(2)(क)	
13.	प्राधिकार पत्र की अनुकृति जारी करना	सात हजार पाँच सौ रुपये	66(2)	
14.	नियम 70 के अधीन अपील	तीन हजार रुपये	71(1)	
15.	पूर्वोक्त क्रमसंख्या 1 से 14 के अधीन न आने वाली प्रविष्टियों के लिए किसी आवेदन के संबंध में	दो सौ रुपये		64(त)

टिप्पण 1: शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम यात्री मोटरयान, भारी मालयान, आयातित मोटरयान या कोई अन्य यान जिनका पूर्वोक्त सारणी के क्रम संख्या 4 के सामने वर्णन नहीं किया गया है, के अंतर्गत परिवहन और गैर परिवहन यान दोनों हैं ।

टिप्पण 2 : जब भी किसी स्मार्ट कार्ड किस्म के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो सिवाय अवक्रय या पट्टा या आड़मान करार के रद्द होने के पश्चात् नए रजिस्ट्रीकरण की दशा में दो सौ रुपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी "।

[सं. आर टी-11017/12/2013-एम वी एल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 1096 (अ), तारीख 28 नवम्बर, 2016 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

G.S.R. 1183(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 744(E), dated the 28th July, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th July, 2016;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty-second Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989,-
   (i) in rule 9, in sub-rule (2), for the words, letters and figures "as is referred to in Sl.No.8 of the Table to rule 32", the words and figures "as specified in the Table in rule 32" shall be substituted;

(ii) in rule 14, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) appropriate fee as specified in rule 32, for the test, or the subsequent test, as the case may be, of competence to drive for each class and for issue of licence;";

(iii) for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-

"32. **Fees**.—The fees which shall be charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the table below:

Provided that the States may levy additional amounts to cover the cost of automation and technology utilised for conducting the testing or providing value added services.

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Issue of learner's licence in Form 3 for each class of vehicle	One hundred and fifty rupees	10	8
2.	Learner's licence test fee or repeat test fee, as the case may be	Fifty rupees		27(q)
3.	For test, or repeat test, as the case may be, of competence to drive (for each class of vehicle)	Three hundred rupees	14 (1)(b)	9
4.	Issue of a driving licence	Two hundred rupees	14 (1)(b)	9
5.	Issue of International Driving Permit	One thousand rupees	14(2)(b)	9
6.	Addition of another class of vehicle to driving licence	Five hundred rupees	17(1)(d)	11
7.	Endorsement or renewal of authorisation for vehicle carrying hazardous goods	One hundred rupees	9	27(q)
8.	Renewal of driving licence	Two hundred rupees	18(1)(a)	15
9.	Renewal of a driving licence for which application is made after the grace period	Three hundred rupees. **Note.**:- Additional fee at the rate of one thousand rupees for delay of each year or part thereof reckoned from the date of expiry of the grace period shall be levied.		15
10.	Issue or renewal of licence to a school or establishment for imparting instructions in driving	Ten thousand rupees	24(2)	12
11.	Issue of duplicate licence to a school or establishment for imparting instructions in driving	Five thousand rupees	26(2)	12
12.	An appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 29	Five hundred rupees	30(1)	17
13.	Any application for change in address or any other particulars recorded in the driving licence e.g. address etc.	Two hundred rupees		27(q)

Note. 1. Where a Smartcard Type driving licence is issued in Form 7, an additional fee of two hundred rupees shall be levied.

2. The fees specified at serial numbers 1, 2 and 3 of the Table above shall be paid collectively at the time of submission of application for issue of learner's licence or driving licence or for endorsement of another class of vehicle, as the case may be.";

(iv) for rule 81, the following rule shall be substituted, namely:-

"81. **Fees.**-The fees which shall be charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the Table below:

Provided that the States may levy additional amounts to cover the cost of automation and technology utilized for conducting the testing or providing value added services.

TABLE

Sl. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grant or renewal of trade certificate in respect of each class of vehicle:		34(1)	
	(a) Motorcycle	Five hundred rupees		
	(b) Invalid Carriage	Five hundred rupees		
	(c) Others	One thousand rupees		
2.	Duplicate trade certificate:		38(1)	
	(a) Motorcycle	Three hundred rupees		
	(b) Invalid Carriage	Three hundred rupees		
	(c) Others	Five hundred rupees		
3.	Appeal under rule 46	One thousand rupees	46(1)	
4.	Issue or renewal of certificate of registration and assignment of new registration mark: (a) Invalid Carriage		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) and 78(1)	
	(b) Motor cycle	Fifty rupees		
	(c) Three wheeler/Quadricycle/Light Motor Vehicles:	Three hundred rupees		
	i) Non transport;	Six hundred rupees		
	ii) Transport	One thousand rupees		

	(d) Medium goods vehicle	One thousand rupees		
	(e) Medium passenger motor vehicle	One thousand rupees		
	(f) Heavy goods vehicle	One thousand and five hundred rupees		
	(g) Heavy passenger motor vehicle	One thousand and five hundred rupees		
	(h) Imported motor vehicle	Five thousand rupees		
	(i) Imported motor cycle	Two thousand and five hundred rupees		
	(j) Any other vehicle not mentioned above	Three thousand rupees		
	Note 1: Additional fee of two hundred rupees shall be levied if the certificate of registration is a smart card type issued or renewed in Form 23A. **Note 2**: In case of delay in applying for renewal of certificate of registration, an additional fee of three hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of motor cycles and five hundred rupees for delay of every month or part thereof in respect of other classes of non-transport vehicles shall be levied.			
5.	Issue of duplicate certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No.4	53(2)	
6.	Transfer of ownership	Half of the fee mentioned against Serial No.4. Note: In case of delay in submission of 'No Objection Certificate', an additional fee of rupees three hundred for delay of each month or part thereof in case of motor cycles and five hundred rupees for each month of delay or part thereof for other vehicles shall be levied.	55(2)(iii), 55(3), 56(2)(a) and 57(1)(a)	

7.	Change of residence	Half of the fee mentioned against Serial No.4. **Note:** In case of delay in submitting 'No Objection Certificate' for change of residence, an additional fee of rupees three hundred for delay of each month or part thereof in case of motor cycles and five hundred rupees for each month of delay or part thereof for other vehicles shall be levied.	59	
8.	Recording alteration in the certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No.4		
9.	Endorsing hire purchase/lease/hypothecation agreement-		60	
	(a) Motorcycle	Five hundred rupees		
	(b) Three wheeler/quadricycle/light motor vehicle	One thousand and five hundred rupees		
	(c) Medium or heavy vehicle	Three thousand rupees		
	Note: No separate fee will be levied for cancellation of lease, etc, or for issue of fresh Certificate of Registration thereafter.			
10.	Conducting test of a vehicle for grant or renewal of certificate of fitness		62(2)	
	(a) Motorcycle	(i) Manual: Two hundred rupees (ii) Automated: Four hundred rupees		
	(b) Three wheeled or light motor vehicle or quadricycle	(i) Manual : Four hundred rupees (ii) Automated: Six hundred rupees		
	(c) Medium or heavy motor vehicle	(i) Manual: Six hundred rupees (ii) Automated: One thousand rupees		
11.	Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicle	Two hundred rupees. **Note:** Additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness shall be levied.	62(2)	
12.	Grant or renewal of letter of authority	Fifteen thousand rupees	63(2)(a)	
13.	Issue of duplicate letter of authority	Seven thousand and five hundred rupees	66(2)	
14.	Appeal under rule 70	Three thousand rupees	71(1)	

15.	Any application not covered under entries at Serial Nos. 1 to 14 above	Two hundred rupees		64(p)

Note 1: For the removal of doubts, it is hereby clarified that medium passenger motor vehicles, heavy goods vehicles, imported motor vehicles or any other vehicles not mentioned against Serial No.4 of the above Table include both transport and non-transport vehicles.

Note 2: Where the certificate of registration issued is in the form of any Smart Card Type, an additional fee of rupees two hundred shall be charged *except* in the case of issue of fresh certificate of registration after cancellation of hire purchase or lease or hypothecation agreement.".

[No. RT-11017/12/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R.1096(E), dated the 28th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.